५६

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

आवश्यक/निगरानी 23/9/19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मैसर्स शालू स्टोन प्रा.लि. बनाम किरणसिंह पुत्र विजयराजसिंह

जरिये डायरेक्टर मो. शाहिद राजपूत व अन्य

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 340/2019 सन् 2019 ( ) ५६

2019/00340 (ग्राम नोल्या)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री दीपक पारीक एड. श्री	
23.9.19	यह अपील श्री दीपक पारीक एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 11.06.2019, प्रकरण संख्या 30/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई । अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. अपील प्रस्तुत की अनुमति बाबत् पेश किया है। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।	
	अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 02 ने एक वाद पत्र मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष पेश कर कथन कि जिसमें वर्णित किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 37 के आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 810 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 914/773 रकबा 1.09 है. कुल रकबा 1.54 है. भूमि वाकै ग्राम नोल्या तहसील दूदू में अवस्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 3418/2 है जो राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 05 के 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा बरार दर्ज है लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 के 1/3 हिस्से में से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1/3 हिस्सा है। इसी अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 5 मौके पर काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूशी मुश्तर्का आराजीयात रही है जिस पर पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 के पिता है विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टगण के स्व. दादा व पिता रूपसिंह की खातेदारी की आराजीयात रही है इस प्रकार विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 की पैतृक आराजीयात रही है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम दर्ज आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1/3 हिस्सा है रेस्पोडेन्टगया का विवादित आराजीयात में बाई बर्थ हिस्सा है जिस पर वे शांतिपूर्वक आराजी का बाहमी बंटवारा कर पक्षकारान हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। विवादित आराजी का मौके पर बंटवारा नहीं हो रखा है तथा रेस्पोरेन्ट संख्या 3 जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 के पिता है जो अपने भाईयों के बहकावें में आकर विवादित आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 को उनके हक व हिस्से की आराजीयात से महरूम रखते हुए सम्पूर्ण आराजी का बोन करने पर आमादा है। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कोई अधिकार नही है। दिनांक 25.05.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 05 के साथ दीगर व्यक्ति वादग्रसत आराजीयात को इन दीगर व्यक्तियों को दिखा रहे थे जब रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2ने इसका कारण पूछा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 को ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी को वह उक्त दीगर व्यक्तियों को बिना तकासमा	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

340/19/225

तारीख पेशी	2019/000340 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

करवाये ही बेचान करेगे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 को उनके हिसे व कब्जे काश्त से बेदखल करेगे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 05 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.06.2019 को अप्रार्थीगण जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करते हुए विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.06.2019 न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पुत्र–पुत्रियॉ है तथा उन्हे आराजीयात के विक्रय का सम्पूर्ण ज्ञान है उसके बावजूद क्रेता को पक्षकार कायम नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता देते हुए अपील प्रस्तुत कर एक तरफा स्थगन प्राप्त किया है। पिता के जीवनकाल में पुत्र–पुत्रियॉ का हिस्सा नहीं होता है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। स्थगन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्टसगण ने दुरभी संधी के तहत् वाद व प्रार्थना पत्र प्रसतुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया है जबकि उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अपीलार्थी को पक्षकार कायम किया जाना था चूँकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का हित निहित है जिससे अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 11.06.2019 की क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी.2017(2) पेज 1362 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया हैं।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दूदू के आदेश दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को आगामी आदेशों तक विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 11.06.2019 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते इन्तजार नोटिस अप्रार्थी संख्या 01से 5 हेतु नियत हैं तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार संयोजित होने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही अपना जवाब प्रस्तुत कर आपत्ति प्रकट नहीं कर उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवाऩी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने की अनमुति दी जाती है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

३३

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

340/19/1825 मैसर्स रोवर लिमि. vs तह. अजमेर

तारीख पेशी	2019/00340 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री दीपक पारीक श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार	तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 60 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। 23/9/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	